(c) if so, the details thereof; and

(d) the amount spent on food subsidy during 1994-95 and the amount of additional subsidy required for the same during 1995-96?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) to (d) As per present policy of Central Government, there is only one type of Public Distribution System (PDS) in the country. However, in order to improve the functioning of the PDS in backward regions of the country, about 2446 blocks have been covered under the Revamped Public Distribution System (RPDS). In the blocks covered under RPDS, States have been advised to ensure availability of 20 kgs of food grains per household per month. Central Government issues foodgrains meant for distribution in RPDS areas to States/UTs at specially subsidised Central Issue Prices (CIPs) which are Rs. 50/- per quintal lower than the CIPs for the PDS. These specially subsidised CIPs are not applicable to urban agglomerations within the RPDS blocks in non-tribal majority States.

Central Government has no proposal to formulate any scheme for providing ration to urban poor at cheaper rates than are applicable to rural poor.

The total amount of food subsidy (including sugar) during 1994-95 was Rs. 5100 crores as per Revised Estimates. A budgetary provision of Rs. 5250 crores has been made for food subsidy for the year 1995-96.

Hospitals for Workers in Industrial Area

2181. SHRI MOHAN BABU: Will the Minsiter of LABOUR be Pleased to state:

(a) whether Government will consider a scheme to direct the Provident Fund Commissioner to build and run one high quality hospital for workers in every industrial area;

(b) whether any such plan has been mooted; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

इलाहाबाद जल संस्थान के संबंध में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन

2182. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से उस योजना के कार्यान्वयन की कोई जांच कराई है, जिसके लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत एक सांसद की संस्तुति पर इलाहाबाद के लिजा कलेक्टर द्वारा इलाहाबाद जल संस्थान को धनराशि प्रदान की गई थी,

(ख) क्या मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव इस संबंध में जांच करने के लिए इलाहाबाद गए थे और क्या उन्होंने इसकी जांच की थी, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) माननीय संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों के संबंध में जल संस्थान, इलाहाबाद द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों के उपयोग से संबंधित वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के अपर सचिव ने इलाहाबाद का दौरा किया।

(ग) अपर सचिव द्वारा की गई जांच-पड़ताल से पता चला कि माननीय सांसद श्री सत्य प्रकाश मालवीय, डा० एम०एम० जोशी एवं श्रीमती सरोज दुबे द्वारा

अनुशंसित निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए आबंटित निधियों का जल संस्थान ने विपथन/दुरूपयोग किया है।

अपर सचिव द्वारा की गई जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निम्नलिखित आग्रह करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई:

(1) इस मामले में एक विस्तृत जांच की जानी चाहिए तथा दुरूपयोग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई आरंभ की जानी चाहिए।

(2) जल संस्थान को दुरूपयोग की गई धनराशि को तुरंत प्रभाव से वापस करने, अनुदान सहायता खाते में अधिशेष धनराशि को नहीं निकालने तथा खाते को प्रतिबंधित करने के लिए अनुदेश दिए जाने चाहिए।

(3) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जल संस्थान को दी गई निधियों की महालेखाकार के द्वारा तत्काल लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए।

(4) संबंधित जिला कलेक्टर को जल संस्थान द्वारा नहीं शुरू किए गए निर्माण कार्यों को वापस लेने तथा भविष्य में यह सुनिश्चित करने कि कार्यान्वयन अभिकरण को दिए गये निर्माण कार्यों की वास्तविक प्रगति की समीक्षा किए बिना धनराशि को जारी न किया जाए, के सुझाव दिये जाने चाहिए।

मुख्य सचिव ने यह सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निधियों के विपथन/दुरूपयोग के लिए जबावदेह वित्तीय अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है तथा महाप्रबंधक जो उस समय जल संस्थान के प्रमुख थे, को स्थानांतरित कर दिया गया है।

Medical Facilities to Beedi Workers

2183. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether medical fecilities are being provided to all beedi workers;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the percentage of those beedi workers to whom the medical facilities are being provided by Government, State wise?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a)and (b) A chain of 154 dispensaries and 3 hospitals have been set up under the Beedi Workers Welfare Fund all over the country exclusively for beedi workers to supplement the medical facilities available at the District Hospital/Rural Hospitals/ Public Health Centres/Sub-Centres etc. run by the State Governments

(c) A Statement is annexed.

Statement

State	% of beedi workers covered as per minimum norms.	% of beedi workers actually covered as reported by Welfare Commissioners.
Andhra Pradesh	7.3%	20.83%
Tamilnadu	7.3%	20.83%
Orissa	33.7%	Under verification.
Madhya Pradesh	16.2%	60%
Rajasthan	30%	76.5%
Gujarat	50%	71.0%
West Bengal	11.3%	30%
Assam	65%	78%
Tripura	100%	92%
Maharashtra	27.8%	44%
Karnataka	21.7%	50%
Kerala	29.7%	50%
Bihar	17%	47%
Uttar Pradesh	12.2%	33%